झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः– मु०अ०(मो०)–550 / 2002– 07/22-23 प्र०स्वी० / राँची, दिनांक 13.06.22

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **गढ़वा जिलान्तर्गत कवलदाग सिंचाई योजना के पुनरूद्धार एवं मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य हेतु कुल रू० 2556.77 लाख (रूपये पच्चीस करोड़ छप्पन लाख सतत्तर हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर प्रक्षेत्राधीन गढ़वा जिलान्तर्गत कवलदाग सिंचाई योजना के पुनरूद्धार एवं मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य हेतु कुल रू० 2556.77 लाख (रूपये पच्चीस करोड़ छप्पन लाख सतत्तर हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. कवलदाग सिंचाई योजना गढ़वा जिलान्तर्गत भवनाथपुर प्रखण्ड में कवलदाग नदी पर निर्मित है। इस योजना का निर्माण 1960 में हुआ है।

4. कवलदाग सिंचाई योजना के अंतर्गत दो वीयर कवलदाग एवं फुलवार वीयर निर्मित है। कवलदाग वीयर से निःसृत मुख्य नहर की कुल लम्बाई 9.065 कि०मी० है। इसके बांयी तरफ से दो वितरणी निकलती है, हुर्रका वितरणी की लम्बाई 2.37 कि०मी० एवं दरिदाह वितरणी की लम्बाई 6.27 कि०मी० है। दुलहर नाला पर निर्मित फुलवार वीयर से निःसृत फुलवार लिंक नहर की लम्बाई 3.122 कि०मी० है। फुलवार लिंक नहर अंत में कवलदाग वीयर के पहले कवलदाग नदी में मिल जाता है।

5. इस योजना का रूपांकित सिंचाई क्षमता 1931.30 हे० है, जिसके विरूद्ध वर्ष 2020–21 में मात्र 410 हे० खरीफ सिंचाई प्रदान की गई है।

6. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर द्वारा इस योजना के पुनरूद्धार एवं मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य हेतु रू० 2556.77 लाख के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए उपलब्ध कराया गया है, जिसके प्रमुख अवयवों की विवरणी निम्नवत् है –

Sl.	Items	Amount (in Lakh)
	I- Works	
1	A- Preliminary	6.30
2	C- Works	81.44

3	D- Regulators and Measuring Device	44.63
4	F- Cross Drainage Works	31.79
5	G- Bridges	25.43
6	K- Building	1.59
7	L- (i) Earth work	116.86
	(ii) Lining	2131.25
8	O- Miscellaneous	5.90
9	Q- Special T&P	5.94
10	U- Distributaries minors and sub-minors	105.64
	Total :-	**2556.77**

C-Works तथा D-Regulator अन्तर्गत कवलदाग वीयर तथा फुलवार वीयर के गेट मरम्मति, Spindle तथा अन्डर स्लुईस गेट एवं नहर आउटलेट के गेटों के मरम्मति हेतु इनके यांत्रिक कार्यों के लिये कुल रू० 17.53 लाख का प्रावधान शामिल है।

7. योजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता, विगत तीन वर्षों में सिंचाई उपलब्धि एवं पुनरूद्धार कार्य के उपरान्त पुनर्बहाल होने वाली सिंचाई क्षमता का विवरण निम्नवत् है –

			खरीफ (हे०)
(i)	रूपांकित सिंचाई क्षमता	–	1931.30
(ii)	सिंचाई उपलब्धि	–	
	वर्ष 2018–19	–	400
	वर्ष 2019–20	–	263
	वर्ष 2020–21	–	410
(iii)	पुनरूद्धार कार्य के उपरान्त पुनर्बहाल होने वाली सिंचाई क्षमता	–	1521.30
(iv)	पुनरूद्धार कार्य के उपरान्त कुल सिंचाई क्षमता	–	1931.30 (100%)

8. इस योजना के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य कराये जायेगें :–

i) योजना के मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से 9.065 कि०मी० तक पुनरूद्धार एवं लाईनिंग कार्य।

ii) फुलवार लिंक नहर के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 3.12 तक पुनरूद्धार एवं लाईनिंग कार्य।

iii) हुरका वितरणी के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 2.37 तक पुनरूद्धार कार्य।

iv) दरिदाह वितरणी के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 6.27 तक पुनरूद्धार कार्य।

v) योजना के कवलदाग एवं फुलवार वीयर का मरम्मति एवं सुरक्षात्मक कार्य।

vi) योजना अन्तर्गत विभिन्न संरचनाओं यथा– HR, C/R, Outlets, Inlets, CDs, Aqueduct, Falls एवं Bridges का मरम्मति एवं निर्माण कार्य।

9. यह पुनरूद्धार कार्य जून 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

10. कार्य कराने के पूर्व असम्बद्ध प्रमण्डल द्वारा प्रि–लेवल एवं मापी एवं प्रस्तावित कार्य की मात्रा की जाँच करा ली जाएगी।

11. पुनरूद्धार कार्य के पूर्व एवं कार्य कराने के बाद कार्य स्थल का स्टील फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी करा ली जायेगी।

12. इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण सामग्रियों

के ढुलाई की दूरी (lead) सामग्री उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम रखा जाय, जिसे अधीक्षण अभियंता जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे।

13. इस योजना का कार्यान्वयन कदवन बांध प्रमण्डल, नगर उँटारी द्वारा कराया जायेगा। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, कदवन बांध प्रमण्डल, नगर उँटारी (गढ़वा) होगें तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

14. इस योजना पर होने वाला व्यय के लिए वर्ष 2022–23 का बजट उपबंध –

(i) मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य, लघु शीर्ष –001– निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–78–पूर्ण एवं चालू वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन एवं ई०आर०एम० कार्य, विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा। (विपत्र कोड– 49S-4701-80-001-78-00-05-45)

वर्ष 2022–23 के बजट में पूर्ण सिंचाई योजनाओं के ई०आर०एम० कार्य हेतु शीर्ष 49S – 4701 – 80 – 001 – 78 – 00 – 05 – 45 में रू० 8150.00 लाख का प्रावधान है।

15. इस कार्य हेतु राशि की निकासी गढ़वा कोषागार, गढ़वा से की जायेगी।

16. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

17. राशि का आवंटन बजट उपबंध के अन्तर्गत किया जाएगा।

18. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

19. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

20. प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

21. प्रस्ताव पर दिनांक 07.03.2022 की बैठक में राज्य योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

22. प्रस्ताव पर, वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

23. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 26.04.2022 के मद सं०–09 के रूप में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

24. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

25. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

13/06/22

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव

पत्रांक:– मु०अ०(मो०)–550/2002– 07/22-23 प्र०ह्नति० /राँची, दिनांक 13.06.22

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना एवं विकास विभाग/ वित्त विभाग , झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.06.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः— मु०अ०(मो०)—550 / 2002— 07/22-23 प्र०क्षे० / राँची, दिनांक 13.06.22

प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा कोषागार, गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.06.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः— मु०अ०(मो०)—550 / 2002— 07/22-23 प्र०क्षे० / राँची, दिनांक 13.06.22

प्रतिलिपि :— सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/मुख्य अभियंता, यांत्रिक राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल गढ़वा/कार्यपालक अभियंता, कदवन बांध प्रमण्डल, नगर उँटारी/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.06.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः— मु०अ०(मो०)—550 / 2002— 07/22-23 प्र०क्षे० / राँची, दिनांक 13.06.22

प्रतिलिपि :— आयुक्त, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

13.06.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः— मु०अ०(मो०)—550 / 2002— 07/22-23 प्र०क्षे० / राँची, दिनांक 13.06.22

प्रतिलिपि :— मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

13.06.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव